# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**ल संख्या : 15/429**

1. छोटू आत्मज देवी जाति भील निवासी अशोक नगर बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. घांसी आत्मज छोटू जाति भील निवासी अशोक नगर बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. गीता पत्नी घांसी जाति भील निवासी अशोक नगर बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

**बनाम**

देवीलाल आत्मज भुवाना जाति भील निवासी ग्राम बडा नयागॉव अंशोक फैक्ट्री तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांक: 14.06.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम अशोक नगर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 2374 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 2375 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय एंव डिक्री पारित की।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय पारित करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 13.07.2015 निरस्त फमराया जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी वादी रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है और वह उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । प्रतिवादीगण अपीलान्ट वादी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि में दखलन्दाजी करते हैं जिसका उन्हें किसी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं है । वादी रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं और रिकॉर्डेड खातेदार स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

8. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जाता है

10. निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

# अपील में डिक्री

**(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)**

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

**बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या : 15/429**

1. छोटू आत्मज देवी जाति भील निवासी अशोक नगर बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. घांसी आत्मज छोटू जाति भील निवासी अशोक नगर बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. गीता पत्नी घांसी जाति भील निवासी अशोक नगर बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

**बनाम**

देवीलाल आत्मज भुवाना जाति भील निवासी ग्राम बडा नयागॉव अशोक फैक्ट्री तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।**

**अन्तर्गत वाद संख्याः 98/दावा/2014**

देवीलाल आत्मज भुवाना जाति भील निवासी ग्राम बडा नयागॉव अशोक फैक्ट्री तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——वादी

## बनाम

1. छोटू आत्मज देवी जाति भील निवासी अशोक नगर बडा नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. घांसी आत्मज छोटू जाति भील निवासी अशोक नगर बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. गीता पत्नी घांसी जाति भील निवासी अशोक नगर बडा नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

## अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 14.06.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री कैलाश गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.2015 बहाल रखा जाता है

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिकी आज तारीख 14.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

**मुहर**

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा